उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-8 का उत्तर।

	प्रश्न		उत्तर
8 (क)	क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक सी0ए0जी0 की वर्ष 2023 मे पेश रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में राजस्व विभाग में कुल कितने रूपयों की अनियमिततायें पायी गयी और इस सबंध में सरकार द्वारा कितने दोषियों पर कार्यवाही हुई है?		भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या- 3 वर्ष 2023 के अनुसार राजस्व विभाग में कुल रू0 346.27 लाख की अनियमितता पायी गयी। उक्त धनराशि में से रू0 14.49 लाख राजस्व तथा रू0 331.78 लाख राजस्व (भूमि अधिग्रहण) से सम्बन्धित है। राजस्व से सम्बन्धित रू0 14.49 लाख की अनियमितता के संबंध में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत हैः- (1) श्री शिव शंकर, संग्रह अमीन, तहसील-राठ, जनपद-हमीरपुर द्वारा रू0 40,881.00 का गबन के सम्बन्ध में दिनांक 24.12.1985 को कारण बताओ नोटिस जारी की गयी। गबन संबंधी उक्त धनराशि चालान संख्या-2500/01/ ए900038/ 09.01.2024 द्वारा जमा की गयी। श्री शिव शंकर, संग्रह अमीन को दिनांक 20.01.1986 को सेवा से पृथक कर दिया गया तथा दिनांक 27.02.2020 को इनकी मृत्यु हो चुकी है। (2) श्री जगबीर सिंह, विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी व कुंवर सिंह, चैनमैन, कार्यालय विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी, मेरठ द्वारा वर्ष 1979-80 में रू0 4.56 लाख के कपटपूर्ण आहरण के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 22.09.1993 द्वारा दोषमुक्त किया गया। (3) श्री कुन्दन लाल, नायब नाजिर, जनपद-जौनपुर द्वारा रू0 1.12 लाख के गबन के सम्बन्ध में दिनांक 15.02.1991 को सेवा से पृथक किये जा चुके हैं तथा इनकी मृत्यु दिनांक 03.08.1991 को हो चुकी है। (4) श्री घनश्याम शर्मा, भूलेख लिपिक, जनपद-बलरामपुर द्वारा रू0 1.72 लाख वेतन आदि मद में गबन के उपरान्त एक सुसाइड लेटर लिखकर दिनांक 25.10.2000 से लापता हैं। श्री शर्मा को दिनांक 24.02.2007 से सेवा से पृथक/पदच्युत किया जा चुका है। वसूली के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बलरामपुर के पत्र दिनांक 12.03.2012 द्वारा श्री शर्मा के पैतृक जनपद श्रावस्ती के जिलाधिकारी से जांच करायी गयी तथा जिलाधिकारी, श्रावस्ती के पत्र दिनांक 14.05.2012 के द्वारा श्री धनश्याम शर्मा के नाम कोई चल-अचल सम्पत्ति नही पायी गयी। (5) श्री धन सिंह, श्री भगवत प्रसाद एवं श्री बृजमोहन, लेखपालगण, जनपद-जालौन द्वारा वर्ष 2009-10 में रू0 6.68 लाख कृषि निवेश अनुदान (सूखा राहत) की धनराशि के गबन के सम्बन्ध में सेवा से दिनांक 22.03.2011 को पृथक किया जा चुका है। श्री धन सिंह की दिनांक 25.12.2019 को मृत्यु हो चुकी है। यह प्रकरण अभी मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। राजस्व (भूमि अधिग्रहण) से सम्बन्धित धनराशि रू0 331.78 लाख की अनियमितता के प्रकरण में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत हैः- (1)विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी संयुक्त संगठन मेरठ के कार्यालय द्वारा 7,8 एवं 9 माह वर्ष 1979 के फर्जी बिलों द्वारा आहरित धनराशि रू0-

			4.56 लाख के सम्बन्ध में आरोपित तत्कालीन वि0भू0अ0 श्री जगवीर सिंह व चैनमैन श्री कुंवर सिंह को संलिप्त पाये जाने पर उनके विरूद्ध अपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया। उक्त वाद में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.1993 द्वारा उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी को दोषमुक्त कर दिया गया। वर्तमान में इनकी मृत्यु हो चुकी है। (2)विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, संयुक्त संगठन मेरठ के प्रतिकर भुगतान से सम्बन्धित रिफन्ड वाउचर रू0- 60,060.00 तथा रू0 62,150.00 में कपटपूर्ण भुगतान (1.22 लाख वर्ष 1979) के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण में मंडी समिति हापुड़ हेतु ग्राम ततारपुर व पटना जनपद-हापुड़ की अर्जित भूमि के प्रतिकर भुगतान से सम्बन्धित है, जिसमें दोषी लेखपाल श्री नरेश चन्द्र के विरूद्ध अभियोग दिनांक 8.11.1977 को पंजीकृत कराया गया। मा0 जनपद न्यायालय में ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट (प्रथम) मेरठ के आदेश दिनांक 03.07.1989 द्वारा श्री नरेश चन्द्र को मफरूर घोषित किया गया। (3) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की लखनऊ स्थित तालकटोरा योजना के लिये अर्जित भूमि के प्रतिकर के सम्बन्ध में हुए 326.00 लाख के गबन (वर्ष 1978) में श्री सै0 शहरयार रिजवी, लिपिक, सै0 सईद अहमद फारूकी, लिपिक तथा श्री राम चन्द्र मणि त्रिपाठी, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी से संबंधित आपराधिक वाद संख्या-31/2001 स्टेट ऑफ उ0प्र0 बनाम सुरेश प्रसाद मौर्या दिनांक 31.10.2018 को न्यायालय अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (पी0सी0 एक्ट) के द्वारा निर्णीत किया जा चुका है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दौरान मुकदमा अभियुक्त श्री राम चन्द्र मणि त्रिपाठी की दिनांक 14.11.1997 व श्री शहरयार हैदर रिजवी की दिनांक 12.04.2003 को मृत्यु हो चुकी है। अत: इन दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध वाद की कार्यवाही मा0 न्यायालय द्वारा उपशामित की जा चुकी है। श्री सै0 सईद अहमद फारूकी की दिनांक 13.07.2019 को मृत्यु हो चुकी है तथा श्री सुरेश प्रसाद मौर्या को मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2018 को दोषमुक्त किया जा चुका है। इस प्रकार वसूली की कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।
(ख)	क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगें?		जी हां। उपर्युक्तानुसार।
(ग)	यदि नहीं, तो क्यों?		प्रश्न नही उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री